(123)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल पीठ रीवा (म0प्र0)

519
01.9.14

R-3363-III/14 Rs.20/-

संजय त्रिपाठी तनय श्री श्रीधर त्रिपाठी, उम्र 43 वर्ष, पेशा ठेकेदारी एवं कृषि, निवासी नई वस्ती पड़रा रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

——पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1— स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश द्वारा कलेक्टर महोदय रीवा, जिला रीवा (म0प्र0)

2— मुख्य अभियंता मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल रीवा, जिला रीवा (म0प्र0)

——गैरनिगराकार

श्री पुष्पेन्द्र तिवारी एड. द्वारा आज दिनांक 01-09-14 को प्रस्तुत किया गया।
क्रमांक 3071 रीडर
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा सिविल कोर्ट रीवा
दिनांक ——— को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध निर्णय व आदेश श्रीमान् कलेक्टर महोदय रीवा द्वारा स्वमेव निगरानी प्रकरण क0—77/अ—6/स्व0निग0/2003—2004 में पारित आदेश दिनांक 06/09/2004

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई0

प्रकरण के तथ्य :—

यह कि आवेदक भूमि खसरा नं0—8 रकवा 0.46 ए0, भूमि ख0नं0—9 रकवा 0.46 ए0, भूमि ख0नं0—11 रकवा 0.57 ए0 कुल किता 03 कुल रकवा 1.49 ए0 स्थित ग्राम खैरा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0) का स्वत्व व आधिपत्याधारी है । आवेदक ने उक्त भूमिया रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 07/03/1998 को उपरोक्त भूमियों के मालिक, काविज व भूमिस्वामियों (1) मनबहोर,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3363-III/14 जिला–रीवा

संजय त्रिपाठी / शासन (म0प्र0), कलेक्टर रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
1-10-15	1. प्रकरण ग्राह्यता पर आदेश हेतु लिया गया। 2. आवेदक अभिभाषक श्री सुशील कुमार तिवारी तथा अनावेदक क्रमांक 2 की ओर से श्री रावेन्द्र मिश्रा एडवोकेट के तर्क प्रकरण के ग्राह्यता पर सुना गया एवं प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया। 3. आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रकरण कलेक्टर, रीवा के प्रकरण क्रमांक 77 / अ–6 / स्व.निग. / 03–04 में पारित आदेश दिनांक 06 सितम्बर, 2004 (जिसे आगे अधी.न्याया. कहा जावेगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। 4. आवेदक अभिभाषक द्वारा निगरानी का मुख्य आधार यह बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी पक्ष को सुने वगैर प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया है। विवादित भूमियां जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.08.1998 को अधिपत्यधारी से क्रय किया है। आवेदक का विवादित भूमियों पर स्वत्व खत्म नहीं किया जा सकता। राजस्व न्यायालय को विक्रय पत्र शून्य व प्रभावहीन करवाये बिना प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर विनिश्चय करने की अधिकारिता अधीनस्थ न्यायालय को नही है। यह भी बताया कि सरपंच, ग्राम पंचायत बाबूपुर के द्वारा आवेदक के पक्ष में पारित नामांतरण आदेश विधिवत था। किसी ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी थी। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 06 सितम्बर, 2004 अवैधानिक होने से निरस्त किया जाय। 5. अनावेदक अभिभाषक द्वारा आवेदक के तर्को का खण्डन करते हुये अठाये गये सभी बिन्दुओं को अवैधानिक बताया। अधीनस्थ न्ययालय के आदेश को उचित बताते हुये निगरानी निरस्त करने पर बल दिया गया।	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	6. प्रकरण में संलग्न अभिलेखों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि विवादित भूमियां पूर्व में भूमिस्वामी मनबहोर एवं तीरथ द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 म0प्र0 विद्युत मण्डल को विक्री की गयी थी। इस प्रकार विवादित भूमियों को पुनः विक्रय करने की अधिकारिता नहीं थी। विवादित भूमियां अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा तत्कालीन भूमि स्वामी से क्रय की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार हुजूर जिला रीवा के प्रतिवेदन के आधार पर संहिता की धारा 50 के तहत स्वयंमेव निगरानी में लेते हुये विधिवत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। अनावेदकगण द्वारा सूचना उपरांत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न तो उपस्थित हुये और न ही जवाब पेश किया गया। जहाँ तक अधीनस्थ न्यायालय को स्वयमेव निगरानी में लिये जाने बावत अधिकारिता का प्रश्न है, संहिता की धारा 50(1) में स्पष्ट प्रावधान है कि – "मण्डल किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा दिये गये आवेदन पर या कलेक्टर या बन्दोवस्त अधिकारी किसी भी समय स्वप्रेरणा से किसी ऐसे मामलों का जो विनिश्चय किया जा चुका हो या किसी ऐसी कार्यवाही का जिसमें उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया जा चुका हो ..... । " इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वमेव निगरानी में प्रकरण लिया जाकर आदेश पारित किया गया है, जो उनकी अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत है।" 7. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने प्रश्नाधीन आदेश में विस्तृत रूप से वर्णन करते हुये आदेश पारित किया है, जिसमें किसी हस्ताक्षेप का कारण नहीं पाता हूँ, यथावत रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रथम दृष्टया प्रचलन योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है। 8. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। 9. प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य 1-10-15	